Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 9 ~ Issue 1 (2021)pp: 84-86
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

भारत में केन्द्र–राज्य सम्बन्ध

डॉ बी0बी0 सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
(राजनीतिशास्त्र विभाग)
हिन्दू कालेज, मुरादाबाद

जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे देश में एक छत्रशासन था क्यों उस समय सम्पूर्ण भारत में अंग्रेज द्वारा शासन किया जाता था जो की लगातार 20 वर्षों तक चला तब का शासन बहुत ही अच्छा। केन्द्र व राज्य के द्वारा सभी कार्य दोनों सरकार एकजुट होकर करती थी और दोनों सरकार के मध्य संबंध मधुर थे। बहुमत के कारण निर्णय भी आसानी से हो जाता था जो साधारणतया उसी रूप में केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए लेकिन केन्द्र व राज्यों के मध्य कभी भी गहरा मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ।

केन्द्र व राज्य संबंध में अभिप्राय किसी लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय–राज्य में संघ्यवादी केन्द्र और उसकी इकाईयां के बीच के आपसी सम्बन्ध से होता है। विश्वभर में लोकतंत्र के उदय के साथ राजनीति में केन्द्र–राज्य सम्बन्धों को एक नई परिभाषा मिली है।

भारत में स्वतंत्रता उपरान्त केन्द्र–राज्य संबंध का मसला अत्यधिक संवेदनशील मामला रहा है। विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राजय के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो। ये सब केन्द्र–राज्य सम्बन्धी की सीमा में आते है। इनके अलावा देश में शिक्षा, व्यापार जैसे विषयों पर नीति निर्माण के सवाल उठने पर भी उसके केन्द्र में है। केन्द्र और राज्य के बीच में इनको लेकर क्या आपसी समझ है, यहीं महत्वपूण होता है।

विधानी शक्ति के विषयों को तीन सूचियों में बाँटा गया हैः–

भारतीय संविधान में भारत को ''राज्यों का संघ'' कहा गया है न की संघवादी राज्य। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केन्द्र और राज्य के बची किया गया है।

विधायी शक्ति के विषयों को तीन सूचियों में बाँटा गया हैः–

1. केन्द्रीय सूची– इस सूची में 99 विषय शामिल किये गये है। जिन पर सिर्फ केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किये गये है जैसे की प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा संचार और वित्तीय मामले आदि।
2. राज्य सूची में 61 विषय शामिल है। राज्य सूची में कानून और व्यवस्था जनस्वास्थ्य, प्रशासन जैसे स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गा है।
3. समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। इस सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते है। कोई राज्य सरकार केन्द्र के द्वारा बनाए गए कानूनों व नीति के विरोध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकती है।

विधायिका स्तर पर केन्द्र–राज्य सम्बन्धः–

संविधान की सातवीं अनुसूची विधायिका के विषय केन्द्र–राज्य के मध्य विभाजित करती है। संघ सूची में महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय है। राज्यों का केन्द्र का विधान सम्बन्धी नियंत्रण के अन्तर्गत 1–अनुच्छेद 31(1) के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी सम्पत्ति जनहित हेतु विधि बनाकर ग्रहित कर ले लेकिन ऐसी कोई विधि असंवैधानिक रद् नहीं की जाएगी यदि वह अनु0 14 व 19 का उल्लंघन करें लेकिन वह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किन्तु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली भी तो वह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र नहीं होगा।

2. अनु0 31(ब) के द्वारा नौवी अनुसूची भी जोड़ी गई है तथाउन सभी अधिनियमों को जो राज्य विधायिका द्वारा पारित हो तथा अनुसूची के अधीन रखे गए हो को भी न्यायिक पुनरीक्षा से छूट मिल जाती है लेकिन यह कार्य संसद की स्वीकृति में होता है।

2. अनु0 200 राज्य का राज्यपाल धन बिल सहित जिसे राज्य विधायिका ने पास किया हो को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है।

3. अनु0 288 (2) राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो की जन संग्रह, विद्युत उत्पादन तथा विद्युत उपयोग वितरण उपभोग से सम्बन्धित है। ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा।

5. अनु0 305 (ब) के अनुसार राज्य विधायिका को शक्ति देता है की वो अन्तर्राज्य व्यापार, वाणिज्य पर युक्ति निबंधंन लगाए परन्तु राज्य विधायिका में लाया गया बिल केवल राष्ट्रपति की अनुरक्षा से ही लाया जा सकता है।

केन्द्र–राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध–अनु0 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इस तरह प्रयोग में लागयी जाए की संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सकें। अनु0 257 कुछ मामलों में राज्य पर केन्द्र नियंत्रण की बात करता है। राज्य कार्यपालिका शक्ति इस तरह प्रयोग में लाए कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष न करें। यदि राज्य निर्देशपालन में असफल रहा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। अनु0 258(2) के संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को उस तरह प्रयोग करने की शक्ति देता है जिससे संघीय विधि पालित हो, केन्द्र को अधिकार है कि राज्य में बिना उसकी मर्जी के सेवा, केन्द्रीय सुरक्षा बन तैनात कर सकता है।

''अखिल भारती सेवाएं भी केन्द्र को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता देती है। अनु0 262 संसद को अधिकार देता है कि वह अन्तर्राज्य जलविवाद तथा बोर्ड एक्त पारित किये थे। अनु0 263 राष्ट्रपति को शक्ति देता है अन्तर्राज्य परिषद स्थापित करें ताकि राज्यों के मध्य उत्पन्न मत विभिन्नता से सम्बन्धित मसले सुलझा सके।''

4. वित्तीय सम्बन्ध–केन्द्र और राज्यों के वित्तयी संबंधों को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

1. केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले, किन्तु राज्यों द्वारा वसूल किए जाने वाले कर–भारतीय संविधान की धारा 268 के अनुसार चिकित्सालय तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने की व्यवस्था है लेकिन उसकी वसूली राज्य सरकारें करेगी और इससे प्राप्त धन भी राज्यों का होगा।
2. संविधान की धारा 269 में यह व्यवस्था की गई है की कुछ कर यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा लगाए एवं वसूल किये जाएंगे लेकिन उन करों से प्राप्त राशि संसद के सिद्धांतों के आधार पर राज्यों में वितरित की जाएगी।
3. आय पर कर– संविधान की धारा 270 के अनुसार कृषि आय को छोड़कर अन्य आयों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाएगा।
4. राज्यों को संघ से अनुदान–संविधान की धारा 275 के अनुसार संसद यह निर्धारित करती है कि किन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है तथा विभिन्न राज्यों की धनराशि नियत करती है। यह धनराशि भारत की संचित निधि पर उन राज्यों के राजस्वों में अनुदान के रूप में भारित होती है।
5. वित्त आयोग–संविधान के अनुच्छेद 280 में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 05 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इस आयोग के द्वारा संघ और राज्य सरकारां के मध्य करों के वितरण, भारत की संचित निधि से धन के व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य विषयों पर सिफारिश करने का कार्य किया जायेगा।

''केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव के कारणों में सबसे अधिक विवाद राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका को लेकर रहता है तथा दूसरा कारण राज्यों द्वारा संविधान के उपबंधों के तहत नहीं चलाये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना है।

नौकरशाही भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है जिस पर केन्द्र व राज्यों के बीच मतभेद दिखाई दता है। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों की स्वायत्ता को कम करती है क्योंकि कई बार इनके अधिकारी केन्द्र के एजेण्ट की भांति व्यवहार करने लगते है। आज केन्द्र राज्यों के समभेद से खटास की मुख्य वजह आर्थिक नियोजन है। हालांकि नीति आयोग द्वारा इस तनाव को काम करने के प्रयास किये गये है। सम्मदों में तनाव का एक बड़ा कारण राज्यों की केन्द्र राज्यों की केन्द्र पर वित्तयी निर्भरता है।

केन्द्र और राज्यों के बची तनाव विकास एवं जनकल्याण को अवरूद्ध कर सकती है। ऐसे मं केन्द्र राज्य सम्बन्धी में समन्वय आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है जो तनाव काम करने में कारगर साबित हो सकते है जैसेः–

1. भारत में संघ को मजबूत आधार देने के लिए आर्थिक उदारीकरण के साथ राजनीतिक शक्ति और व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण जरूरी हो गया है।
2. भारत संघ को फेडरल संघ का रूप देने के लिए यह जरूरी है की वह स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में काम करें।
3. राज्यपालों की नियुक्ति के मानदंडों में परिवर्तन होने चाहिए। सरकारियों आयोग द्वारा सुझाये गए बिन्दुओं को अमल में लाये जाने की जरूरत है।
4. अनुच्छेद 335 से सम्बन्धित समस्याएं अनुच्छेद 256, 257, 355, 356 और 365 के अनुचित किर्यावयन के कारण पैदा हुई है। इन सब अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है।

*Corresponding Author: डॉ बी0बी0 सिंह

5. ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची को आदेशात्मक बना देना चाहिए। इन दोनों अनुसूचियों को मिलाकर एक समान्य सूची का निर्माण करना चाहिए।
6. परम्परागत संस्थाओं, स्वायत्तशापी जिला परीपदों तथा अधीन न्याय पालिका के परम्पर व्याप्त अधिकार क्षेत्र के कारण न्याय प्रशासन में दिक्कते पैदा हो रही है जिसे सुलझाने की आवश्यकता है।

अतः यह बात ठीक से समझ ली जानी चाहिए की सवैधानिक प्रावधानों के अलावा अन्य अनेक तत्व भी है जो संघीय व्यवस्था में केन्द्र–राज्य नेतृत्व की क्षमता का स्तर, सम्मलेन, संगोष्ठी, अधिकारियों की बैठक कुछ ऐसे ही उपचार के साधन है। वर्तमान युग सम्मेलनों व बैठकों की प्रकृति तदर्थ होती है जिसमें केन्द्र–राज्य संबंधी से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा होती है। आज ऐसे सम्मेलनों का विशेष महत्व है। राज्यपालों का वार्षिक सम्मलेन जो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होता है तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन ऐसे ही सम्मेलन है। ऐसे सम्बन्धों में केन्द्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों पर विचार विमर्श आवश्यक रूप से होता ही है और समाधान का रास्ता भी निकल आता है।

प्रशासनिक सम्मलेनों का अपना ही महत्व है आज देश में शांति व्यवस्था व कानून बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है ऐसी स्थिति में इन सम्मेलनों व बैठकों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

वैसे भी विश्व में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिनका हाल बातचीत, विचार–विमर्श और सहयोग से ना हो सके तो फिर केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धी से सम्बन्धित समस्याओं का हल इन अतिरिक्त या संवैधानिक साधनों द्वारा क्यों नहीं हो सकता? अवश्य ही हो सकता है यदि इस संबंध में गम्भीरतापूर्वक कार्य किए जाएं तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी।

संदर्भः–

1. बी0एल0 फडिया–भारतीय राजनीति
2. सी0बी0 गेना–तुलनात्मक राजनीति
3. केन्द्र राज्य संबंध– ''हिन्दुस्तान लाइव'' 25 दिसम्बर 2009
4. एच0पी0 त्यागी एवं आर0 के रस्तौगी लोकप्रशासन पेज नं0 361–364
5. सुभाष कश्यप– ''हमारा संविधान'' पेज नं0–196–198
6. सुभाष कश्यप– ''हमारा संविधान–भाग–दो'' अनुच्छेद–245–263
    1. संघ–राज्य
    2. केन्द्र राज्य

*Corresponding Author: डॉ बी0बी0 सिंह